



कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पत्रांक- 361 / 12-1 पुरोला, दिनांक, 04/08/2021

फोन / फेक्स नं०-01373-223328
E-Mail:- dfotons-forest-uk@nic.in
वन मित्र कॉल सेंटर-9208008000

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
पुरोला उत्तरकाशी।

विषय- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड़ से कुनारा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.8175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरमध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं०-8बी/यू०सी०पी०/०६/157/2021/एफ०सी०/274 दिनांक 30-06-2020।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संलग्न डिमान्ड नोट (मांग पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। मांग पत्र के अनुसार एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

हस्ताक्षर अधिकारी I

आचार्य काशीदास जी।

8/8/21

कनिष्ठ अभियन्ता/अभियन्ता

कृपया कार्यपत्रक का प्रतिकृति कराना सुनिश्चित करें।

सहायक

जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी में मियागाड़ से कुनारा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.8175 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन अतिरिक्त जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है०में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	दर प्रति है० प्रमुख वन सरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं०-1459/3-5-2 P.O दिनांक 01.07. 2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					1. NPV	2.8175	9,39,000/-	26,45,633.00
2	FP/UK /ROAD/37269/2018	2.8175	5	0.8	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख-रखाव हेतु	5.635	370,902/-	20,90,033.00
Total:-								47,35,666.00

Or Say:-

Forty seven lacs thirty five thousand six hundred sixty six only

नोट- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा नहीं की जाती है तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्धारित दर के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।